

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (रसद) झुन्झुनू

क्रमांक/रसद/प्राधिकार/2026/2073

दिनांक : - 22.04.2026

-:विज्ञापित:-

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ 17 (1) खा.वि./ विधि/08/दिनांक 17.03.2016 एवं पत्रांक एफ 17 (5)खावि/ न्याय/ महि. आर/2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिशा-निर्देशों के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले में रिक्त व नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिये इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के अन्तर्गत प्राधिकार -पत्र जारी किये जाने हेतु सशुल्क आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। आवेदन पत्र दिनांक 23.04.2023 से कार्यालय जिला रसद अधिकारी, झुनझुनू (कलेक्टर परिषद) से (राजकीय अवकाश को छोड़कर) (रूपये 100/-) का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जिला रसद कार्यालय झुन्झुनू के पक्ष में प्रस्तुत कर प्राप्त किए जा सकते हैं एवं इसी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 18.04.2026 तक जमा कराये जा सकेंगे। रिक्त उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार है:-


क्र. स.	नाम तहसील	वितरण केन्द्र	ग्रामपंचायत/नगर निकाय	आरक्षण की श्रेणी
1	झुन्झुनू	मारीगसर	नयासर	अनारक्षित
2	झुन्झुनू	गुढा बावनी	गुढा बावनी	अनारक्षित
3	झुन्झुनू	बडागांव	बडागांव	अनारक्षित
4	उदयपुरवाटी	किशोरपुरा	किशोरपुरा	अनारक्षित
5	उदयपुरवाटी	सराय	सराय	अनारक्षित
6	खेतडी	राजोता	राजोता	महिला आरक्षित
7	खेतडी	दलोता	दलोता	महिला आरक्षित
8	बुहाना	भूरीवास	काजला	अनारक्षित
9	बुहाना	हीरवा	हीरवा	महिला आरक्षित
10	बुहाना	मोई भारू	मोई भारू	अनारक्षित
11	सूरजगढ.	डागर	बामनवास	अनारक्षित
12	सूरजगढ.	वार्ड 9,10,12 व 13	नगरपालिका पिलानी	महिला आरक्षित
13	सूरजगढ.	वार्ड 24 व 25	नगरपालिका पिलानी	अनारक्षित
14	नवलगढ	निवाई	निवाई	महिला आरक्षित
15	नवलगढ	वार्ड 3 व 6 पुराना	नवलगढ.	अनारक्षित
16	नवलगढ	वार्ड 14 पुराना	नवलगढ.	महिला आरक्षित
17	मण्डावा	शेखसर	शेखसर	अनारक्षित
18	मण्डावा	दिलोई	दिलोई	महिला आरक्षित
19	मलसीसर	पीथूसर	पीथूसर	अनारक्षित
20	मलसीसर	जवाहरपुरा	जाबासर	अनारक्षित
21	चिडावा	अलीपुर	अलीपुर	अनारक्षित
22	चिडावा	बास श्योपुरा	बास श्योपुरा	अनारक्षित
23	चिडावा	चिडासन	चिडासन	अनारक्षित

उपरोक्त रिक्तियों के सम्बन्ध में विभागीय पत्र क्रमांक एफ.17(1)खा.वि./विधि/08 दिनांक 17.03.2016 और समय समय पर जारी अन्य निर्देशों एवं पत्रांक एफ.17(5)खा.वि./न्याय/महि.आर/2019 दिनांक 25.11.2020 के द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा-निर्देश में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जायेगी। उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के संबंध में योग्यता, चयन मापदण्ड एवं अन्य

दिशा-निर्देश तथा रिक्त उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट व जिला रसद कार्यालय झुन्झुनू में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

उक्त रिक्तियों में कमी/वृद्धि/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों का भरनें/नही भरनें/ नही भरनें के संबंध में कार्यालय का निर्णय सुरक्षित रहेगा।

उक्त विज्ञप्ति में दुकानों का आवंटन /नियुक्ति विभिन्न अपीलीय/न्यायालयों के निर्णयों के अध्यधेन होगा।



जिला कलेक्टर (रसद)
झुन्झुनू

दिनांक : -22.04.2026

क्रमांक/रसद/प्राधिकार/2026/2673

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् विषिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान् संभागीय आयुक्त, जयपुर।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. श्रीमान् माननीय जिला प्रमुख, जिला परिषद झुन्झुनू।
7. जिला जन सम्पर्क अधिकारी जिला झुन्झुनू।
8. प्रोग्रामर, डीओआईटी, जिला कलेक्ट्रेट झुन्झुनू को कलेक्ट्रेट की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।


जिला कलेक्टर (रसद)
झुन्झुनू